न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ील संख्या : 19/30

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. भूपेन्द्र सिंह आत्मज जसवन्त सिंह ।
2. आशा कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह ।
3. राजेश कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह ।
4. निर्मला कुमारी पुत्री जसवन्त सिंह ।
5. उषा कुमारी पत्नी जसवन्त सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री संजय पाटौदी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 15.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा में पूर्व में संवत् 2030 से 33 की जमाबन्दी के अनुसार वादी क्रम 1 से 4 के पिता व वादिनी क्रम 5 के पति के खाते में कुल 10 किता की 96 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित थी जो बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर कायम कर वादीगण की भूमि 1.30 हैक्टर की कमी करते हुए नये खसरा नम्बर कायम कर दिये । वादीगण मौके पर पुराने रकबे के अनुसार काबिज काश्त हैं । उक्त भूमि के पुराने रकबा के अनुसार 54 बीघा 02 बिस्वा होता है जिसके 8.65 हैक्टर बनते हैं जबकि वादीगण के खाते व राजस्व रिकॉर्ड में रकबा 7.35 हैक्टर दर्ज किया गया है । इस प्रकार 1.30 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई है । वादीगण राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने के अधिकारी हैं ।

अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की मद संख्या 5 मं वर्णित आराजी खसरा नम्बर 250 की 0.02 हैक्टर के स्थान पर 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 164 रकबा 2.17 हैक्टर के स्थान पर 2.27 हैक्टर, खसरा नमरि 455 की 2.43 हैक्टर के स्थान पर 2.83 हैक्टर, खसरा नम्बर 604 की 1.42 हैक्टर के स्थान पर 1.71 हैक्टर , खसरा नम्बर 641 की 1.31 हैक्टर के स्थानर पर 1.78 हैक्टर भूमि पुराने रकबे के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे व कमी रकबा पूर्ण किया जावे । प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी अथवा के किसी भू–भाग से वादीगण को बेदखल नहीं करे और उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखल व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.05.2018 के द्वारा वादीगण का वाद आंशिक रूप से डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री में रकबा बढाये जाने का आदेश पारित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रकबा किस खसरा नम्बर में से कम किया जाना है । यह वर्णित नहीं किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना कर दिये जाने से 0.98 हैक्टर रकबा बढ जाने से कुल गॉव का रकबा बढ जाता है और कुल गॉव का रकबा बढाये जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तनकीयात कायम कर पक्षकारान की जिरह में लम्बित थी जिसमें आगामी दिनांक 24.05.2018 नियत की गई थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तारीख पेशी को बदल कर दिनांक 30.05.2018 नियत कर दिया और उसी दिन निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की अपीलान्ट का कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी 28.12.2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की पालना कराने आऐ तब हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में रेस्पोडेन्ट की आराजी 0.98 हैक्टर रकबा बढाये जाने का आदेश दिया है । यदि 0.98 हैक्टर आराजी रेस्पोडेन्ट के रकबे में बढायी जाती है तो कुल गॉव का रकबा बढ जाता है और कुल

गाँव का रकबा बढाये जाने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद में अपीलान्ट द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत किया गया था, दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई परन्तु इसे लोक अदालत में रखा गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात का विनिश्चय किये बिना निर्णय पारित किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट के खाते में दर्ज आराजी का रकबा सेटलमेंट विभाग ने कम किया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । कुल रकबा 1.30 हैक्टर कम दर्ज किया गया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर 0.98 हैक्टर रकबे की पूर्ति का आदेश पारित किया है । उक्त रिपोर्ट में विस्तृत रूप से अंकित किया गया है कि किस खसरा नम्बर का रकबा कम हुआ है और किस खसरा नम्बर का रकबा बेशी हुआ है । तद्नुसार उपरोक्त बेशी रकबे को कम करते हुए कमी–पूर्ति का आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है । अतः अपील अपलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी के द्वारा अपीलान्ट के खिलाफ धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि सेटलमेंट विभाग ने पॉच खसरा नम्बरान में वादीगण के पुराने रकबे में कुल 1.30 हैक्टर रकबा कम दर्ज किया है । सेटलमेंट विभाग को रकबा कम करने का कोई अधिकार नहीं है । अतः पुराने रकबे के अनुसार रकबे की पूर्ति की जावे परन्तु वादी के द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह कमी पूर्ति किस खसरा नम्बर से की जावे । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई हैं जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 19 पर संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित किया है । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा पेश नहीं किया है । लोक अदालत में वादी की उपस्थिति दर्ज करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है, तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है । वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है । यदि वादी ऐसा महसूस करते हैं कि सेटलमेंट विभाग के द्वारा उनके खाते की आराजी का रकबा कम किया गया है तो उन्हें हाल नक्शा, साबिक नक्शा तथा हाल और साबिक जमाबन्दी मय मिलान क्षेत्रफल के प्रस्तुत करके यह साबित करना होता है कि उनका रकबा कम किया जाकर किस खसरा नम्बर में शामिल किया गया है । यदि किसी ग्राम विशेष में किसी खसरा नम्बर का रकबा बढाया जाता है तो दूसरे खसरा नम्बर जिसमें

कि रकबा अधिक दर्ज किया गया है उसमें कम किया जाना भी आवश्यक होता है ताकि ग्राम का कुल रकबा यथावत रहे ।

12. इन समस्त तथ्यों के आधार पवर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.05.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 11 में किये गये विवेचन के अनुसार सीपीसी की पालना करते हुए तनकीवार विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 08.04.2019 को उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.2.19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा